

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 09.09.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-192/23 धारा 380/457/411 भादवि0 में वांछित अभियुक्त समसू पुत्र मौसम निवासी मटियामऊ थाना अकबरपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-371/23 धारा 379/411 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शिववीर पुत्र बाबू सिंह निवासी गौतम बुद्धनगर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-30/14 धारा 304(2) भादवि0 के वारंटी अभियुक्त रामसिंह पुत्र झब्बू निवासी नयापुरवा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त लल्ला पुत्र मो0 हनीफ निवासी बारा थाना अकबरपुर कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-375/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र कैलाश बाबू निवासी ठकुरन गढेवा थाना रुरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 14 अदद पाउच देशी शराब ब्राण्ड ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-376/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र सिंह उर्फ जिगिन्दे पुत्र स्व0 धीर सिंह निवासी सबलपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात के कब्जे से 17 अदद पौवा शराब ट्विन टावर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-267/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेश पुत्र उजियारे लाल निवासी उडनवापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद पौवा शराब ट्विन टावर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-268/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र राम स्वरूप निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 22 अदद नाजायज देशी क्वार्टर शराब टिवन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-374/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 रमेश गुप्ता निवासी मोहल्ला टण्डनगंज निकट मोहित मोबाइल थाना कालपी जनपद जालौन 2. मुलायम सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम मारग मैथा थाना शिवली कानपुर देहात 3. विजय यादव पुत्र कृष्ण चन्द्र यादव निवासी ग्राम ककरदही थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (भागा हुआ) 4. दीनानाथ पुत्र रामनरेश निवासी 312 पनकी रोड कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर (भागा हुआ) 5. पिकी सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम गारब मैथा थाना शिवली कानपुर देहात (भागा हुआ) 6. भागे हुये दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-319/23 धारा 13 जी सार्वजनिक जुआं अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त लवकुश चक्रवर्ती पुत्र रमेश निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर देशी शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-320/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।